

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या /2017/XXVII(9)/स्टाम्प-29/2012

देहरादून: दिनांक: 24 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपटित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस निमित्त पूर्व में जारी की गयी अधिसूचना संख्या-207/2015/XXVII (9)/स्टाम्प-29/2012 दिनांक 27 अगस्त, 2015 विखण्डित करते हुये इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे समस्त विलेखों जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची 1बी के अनुच्छेद 5 के खण्ड बी-1 के अधीन प्रभाय है, में प्रभाय स्टाम्प शुल्क इस निमित्त पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या-668/27-9-2009/स्टाम्प/2008 दिनांक 2 सितम्बर, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार प्रभाय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)

सचिव, वित्त।

संख्या 357 (1)/2017/XXVII(9)/स्टाम्प-29/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. गण्डलायुक्त कुमायूँ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. उप-निदेशक, राजकीय प्रेस, रूडकी को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना की 200 प्रतियां प्रकाशित कराकर वित्त अनुभाग-9 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. प्रमुख सचिव, विधायी, विधानसभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,,

(हीरा सिंह बसेड़ा)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग-9

संख्या- /2015/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009

देहरादून: दिनांक: 14 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) सपठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये शासन की अधिसूचना संख्या 74/XXVII(9)/स्टाम्प/2008, दिनांक-25 अप्रैल, 2008 का प्रस्तर-2 को इस अधिसूचना के प्रकाशित होन की तारीख से विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।

संख्या - 167 (1)/2015/XXVII(9)/स्टाम्प -80/2009 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मण्डलायुक्त, कुमायूँ/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
2. महालेखाकार, ओबराय बिल्डिंग माजरा देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि व उक्त अधिसूचना को आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 100 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से।

(बी0डी0 बेलवाल)

अनु सचिव।